न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 45 / 2023 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023 / 174**

दायर दिनांक :– 01.03.2023 **निर्णय दिनांक :– 09.01.2025**

1. श्रामनिवास पुत्र गोपाराम जाति जाट निवासी सेवरों की ढाणी पाल तहसील व जिला जोधपुर

–प्रार्थी

बनाम्

1. क्षेत्रीय वन अधिकारी बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी बाप स्वयं
3. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:निर्णय:–

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आश्य से पेश किया है कि सरहद मौजा जेतड़ासर पटवार क्षेत्र बाप तहसील बाप में प्रार्थी की खातेदारी की काश्त भूमि खसरा नम्बर 952 रकबा 2.0558 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थी की उक्त भूमि पर आज दिन तक लगातार शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी ने उक्त भूमि पर रहवासीय ढाणी, पानी के टांके, पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे है और प्रार्थी अपने परिवार सहित बारह मास निवास करता आ रहा है नकल जमाबंदी व नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी उक्त खातेदारी अधिकारों के चिपती अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 965 / 1 रकबा 19.7648 हैक्टेयर भूमि ग्राम बाप पटवार क्षेत्र बाप तहसील बाप जिला फलोदी में आई हुई है। जिसके पास से मुडिया सड़क निकलती है जो ग्राम बाप से जेतड़ासर तक जाती है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 952 की भूमि एवं उसमें बनी रहवासीय ढाणी में आने जोन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 965 / 1 भूमि में से रास्ता हेतु संलग्न नजरी नक्शा अनुसार उपयोग में ली जा रही है।, प्रार्थी को आने जाने हेतु उक्त रास्ते के आलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा पूर्व में अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि में से आने जाने हेतु रास्ते का उपयोग लिया जा रहा था। अप्रार्थी उक्त रास्ते को बंद करने को आमादा है। अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि से लगती ही मुडिया सड़क तक आने जाने हेतु उपयोग में ली जा रही है प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र नये रास्ते की घोषणा हेतु प्रस्तुत करना पड़ रहा है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया और अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 क्षेत्रिय वन

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

अधिकारी बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार बाप ने मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली में बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, अप्रार्थी संख्या 1 का जवाब इत्यादि का अवलोकन किया गया। बाद मनन, अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थी द्वारा ग्राम बाप के खसरा नम्बर 965/1 रकबा 19.7648 हैक्टेयर में से रास्ते की घोषणा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उक्त खसरा नम्बर की भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन विभाग दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 के जवाब अनुसार उक्त भूमि वनभूमि है राजस्व रिकार्ड में वन विभाग के नाम अमलदरामद हो रखी है। वन भूमि मे में रास्ता बनना या वनभूमि को रास्ते के रूप में उपयोग में लेना गैर वानिकीय कार्यो की श्रेणी में आता है। वन भूमि में गैर वानिकीय कार्य स्वीकृत कराने से पूर्व या किसी भी वन भूमि के वैधानिक स्वरूप में परिवर्ततन करने से पूर्व वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रत्यावर्ततन प्रस्ताव के जरिये भारत सरका से पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य प्रावधान है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा भी प्रकरण टी.एन.गोदावरमन बनाम भारत संघ में दिनांक 12.12.1996 को पारित निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि किसी भी वनभूमि के वैधानिक अस्तित्व में बिना भारत सरकार की पूर्वानुमति कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। This order is to operate and to be implemented, notwithstanding any order at variance, made or which may be made by any Government or any authority, tribunal or court, including the High court. अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत जवाब के संलग्न प्रस्तुत वन संरक्षण अधिनियम 1980 की प्रति, न्यायिक दृष्टांत इत्यादि का अवलोकन करने से स्पष्ट हो रहा की वन भूमि प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पोषणीय नहीं होने से स्वीकार किया जाने योग्य नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09/01/25

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)